ऑन लाईन नं. RCMS 2025/175

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 44/2025

1. जगदीश सिडाना पुत्र श्री मिलखीराम जाति अरोड़ा निवासी 118 पी ब्लॉक, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
2. भगवान दास पुत्र श्री मिलखी राम जाति अरोड़ा निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1.श्री ओमप्रकाश बतरा , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री मोहन लाल छाबड़ा, रेस्पोडेन्ट संख्या–1

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर दिनांक 06.11.2025 का मुकदमा अनवान भगवान दास बनाम जगदीश जिसकी रूह से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया बमुराद मनसूखियां।

::आदेश:: दिनांक :–27.03.2026

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट की माता तुलसी उर्फ तुलछी वाई पत्नी मिलखीराम के नाम चक 23 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 14 में 6.197 हैक्टेयर , मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 7 में 0.126 हैक्टेयर कुल 6.323 हैक्टेयर रकबा अपने दादा विशन दास पुत्र श्री सौदागरमल जो पाकिस्तान से आया हुआ शरणार्थी था। शरणार्थी होने से क्लेममेन्ट पर रकबा अलाट किया गया था। सौदागरमल के मरने के बाद उपरोक्त रकबा तुलसी उर्फ तुलछी वाई पत्नी मिलखीराम के पिता को वारिसान प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्टान ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया कि तुलसी उर्फ तुलछी वाई पत्नी मिलखीराम ने दिनांक 29.12.2007 को चक 23 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर में 6.323 हैक्टेयर रकबा की वसीयत दिनांक 29.12.2007 को की है तथा तुलसी उर्फ तुलछी वाई की मृत्यु दिनांक 09.01.2012 को हो गयी। इसलिए वसीयत के आधार पर इन्तकाल किया जावें जिस पर अपीलांट ने दिनांक 26.09.2025 को अपना ऐतराज सुरक्षित रखते हुए प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की। उपरोक्त रकबा जद्दी जायदाद है जिसकी वसीयत करने का अधिकार नहीं है, इसलिए उपरोक्त जमीन सभी वारिसान के नाम की जावें तथा एक पारिवारिक समझौता किया गया है जिसका मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जब तक मलकीयत का निर्णय नहीं होता तब तक इन्तकाल

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

की कार्यवाही नहीं की जा सकती है तथा इस सम्बन्ध में मलकीयत के सम्बन्ध में वाद चल रहा है जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक इन्तकाल की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय पेश किया तथा दिनांक 06.11.2025 को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर दिया मगर अधीनस्थ न्यायलय ने बिना अपीलांट को सुने ही एकतरफा तौर पर अपील प्रारम्भिक आपत्ति खारिज कर दी जिसके खिलाफ अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है जो निम्न कानूनी बिन्दुओं पर पेश है:–

1. यह कि हुक्म अदालत महतात का गैरकानूनी है जो दोबारा गौर मिसल के है नकल फैसला शामिल अपील है।
2. यह कि तुलसी उर्फ तुलछी बाई पत्नी मिलखीराम की स्वअर्जित भूमि नहीं थी बल्कि उसको अपने पिता से विरास्तन प्राप्त हुई थी जिसके सम्बन्ध में तमाम क्लेम के कागजात पेश किये थे जिसकी प्रारम्भिक आपत्ति पेश की थी मगर बिना किसी आधार पर अपीलांट की आपत्ति खारिज कर दी है, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
3. यह कि अपीलांट द्वारा पारिवारिक समझौता प्रस्तुत किया हालाकि उसे रजिस्टर्ड करवाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, मगर इस वाद में रेस्पोडेंटान ने कभी यह नहीं कहा कि मेरी माता ने मुझे वसीयत की है जिससे स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेंट ने कोई वसीयत नहीं की इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहना कि अपील नम्बर नहीं है जो सरासर गलत है। अपील में तारीख पेशी अंकित की गयी मगर अदालत ने इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वसीयत रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होने से यह नहीं माना जा सकता कि वसीयत साबित करने के लिए गवाह से साबित किया जा सकता है मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
6. यह कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्टान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया , इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
7. यह कि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रूलिंग का हवाला दिया था तथा साथ में रूलिंग पेश की गयी थी , मगर उसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का बिना अवलोकन किये ही आदेश पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
8. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा जिसकी सूचना सुबह 11.00 बजे दी गयी मगर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

ही आदेश पारित करके नीचे अंकित किया कि बाद आदेश पेश किया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पहले आदेश प्रस्तुत किया था तथा कोई बहस नहीं हुई थी , मगर जानबुझ कर ऐसा लिखा गया , इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 06.11.2025 निरस्त फरमाया जावें एवं इन्तकाल की कार्यवाही स्थगित रखी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अनवानी अपील तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 06.11.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा अपीलार्थी की ओर से वसीयत इन्तकाल सम्बन्धित पत्रावली में प्रारम्भिक आपत्ति को निरस्त किया जाकर आयन्दा विचारण हेतू तारीख पेशी नियत की गयी है। उक्त आदेश प्रकरण के अन्तिम निस्तारण की परिभाषा में नहीं आता है वरन् अन्तरिम आदेश है जिसकी धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारित नहीं होती है वरन् धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत सम्बन्धित तहसीलदार के अन्तिम आदेश के विरूद्ध ही माननीय न्यायालय में अपील होती है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश अन्तिरम आदेश होने के कारण एवं धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत संधारण योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निम्न नजीर पेश की हैः—

Sec.75 First appeals-(1) Save when oatherwise provided in this Act, a first appeal shall lie-

(a) to the Collector from an original oarder passed by a Tehsildar in matters not connected with settlement or land arecords.

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की माता तुलसी उर्फ तुलछी बाई पत्नी मिलखीराम के नाम चक 23 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 14 में 6.197 हैक्टेयर , मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 7 में 0.126 हैक्टेयर कुल 6.323 हैक्टेयर रकबा अपने दादा बिशन दास पुत्र श्री सौदागरमल जो पाकिस्तान से आया हुआ शरणार्थी था। शरणार्थी होने से क्लेममेन्ट पर रकबा अलाट किया गया था। सौदागरमल के मरने के बाद उपरोक्त रकबा तुलसी उर्फ तुलछी बाई पत्नी मिलखीराम के पिता को वारिसान प्राप्त हुआ। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया कि तुलसी उर्फ तुलछी बाई पत्नी मिलखीराम ने दिनांक 29.12.2007 को चक 23 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर में 6.323 हैक्टेयर रकबा की वसीयत दिनांक 29.12.2007 को की है तथा तुलसी उर्फ तुलछी बाई की मृत्यु दिनांक 09.01.2012 को हो गयी। इसलिए वसीयत के आधार पर इन्तकाल किया जावें जिस पर अपीलांट ने दिनांक 26.09.2025 को अपना ऐतराज सुरक्षित रखते हुए प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की कि उपरोक्त रकबा जद्दी जायदाद है जिसकी वसीयत करने का अधिकार तुलसी उर्फ तुलछी बाई पत्नी मिलखीराम को नहीं है। इसलिए उपरोक्त जमीन सभी वारिसान के नाम की जावें तथा एक पारिवारिक समझौता किया गया है जिसका मामला माननीय उच्च न्यायालय में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

विचाराधीन है, जब तक मलकीयत का निर्णय नहीं होता तब तक इन्तकाल की कार्यवाही नहीं की जा सकती है इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय पेश किया तथा दिनांक 06.11.2025 को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर दिया मगर अधीनस्थ न्यायलय ने बिना अपीलांट को सुने ही एकतरफा तौर पर अपील प्रारम्भिक आपत्ति खारिज कर दी जिसके खिलाफ अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेंजात का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि अनवानी अपील तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 06.11.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा अपीलार्थी की ओर से वसीयत की सुनवाई की पत्रावली में प्रारम्भिक आपत्ति को निरस्त किया जाकर आयन्दा विचारण हेतू तारीख पेशी नियत की गयी है। उक्त आदेश प्रकरण के अन्तिम निस्तारण की परिभाषा में नहीं आता है वरन् अन्तरिम आदेश है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश अन्तिरम आदेश होने के कारण एवं धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत संधारण योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड सम्बन्धि ग्राम पंचायत को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner